WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042023-245263
CG-DL-E-19042023-245263

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2023/चैत्र 29, 1945
No. 246] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2023/CHAITRA 29, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2023

संख्या 05/2023- सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 308(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, ताईवान और वियतनाम में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "विनाइल टायल्स, उनसे भिन्न जो कि रोल या शीट के रूप में होते हैं" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 3918 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना फा.सं. 06/17/2021-डीजीटीआर, दिनांक 23 जनवरी, 2023, जिसे दिनांक 23 जनवरी, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत, अपने अंतिम निष्कर्षों में, अन्य बातों के अलावा इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि,

(i) प्रश्नगत उत्पाद का भारत में आयात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया था जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई;

(ii) इस विषयगत वस्तु की भरमार होने के कारण भारत के घरेलू उद्योगों के कारोबार में काफी मंदी आयी है;

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(iii) भारत में इसके वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने के बाद भी विषयगत आयात की प्रमात्रा में बढ़ोत्तरी ही हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए चीन जनवादी गणराज्य और ताईवान में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित उक्त विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः, अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधाराओं (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा-

सारणी

क्रम सं.	शीर्षक	विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3918	लग्जरी विनाइल टायल्स*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य में कोई भी देश	कोई भी	2.05	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
2.	- तदैव -	- तदैव -	चीन जनवादी गणराज्य या ताईवान से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	2.05	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
3.	- तदैव -	- तदैव -	ताईवान	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई भी	1.44	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
4	- तदैव -	- तदैव -	चीन जनवादी गणराज्य या ताईवान से भिन्न कोई भी देश	ताईवान	कोई भी	1.44	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर

* "विनाइल टायल्स, उनसे भिन्न जो कि रोल या शीट फार्म में हों" जिनकी टाईल की न्यूनतम मोटाई 2.5 मिमी. और अधिकतम मोटाई 8 मिमी. (जिसमें कुशन की मोटाई शामिल नहीं है), जिसपर सुरक्षापरत जो कि 0.15 मिमी. से लेकर 0.7 मिमी. तक हो, लगी हो; जिसे बाजार में लग्जरी विनाइल टायल्स, लग्जरी विनाइल फ्लोरिंग, स्टोन प्लास्टिक कंपोजिट, एसपीसी, पीवीसी फ्लोरिंग टायल्स, पीवीसी टायल्स, रिजिड विनाइल टायल्स या रिजिड विनाइल फ्लोरिंग के नाम से भी जाना जाता है।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/48/2023-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2023

No. 05/2023-Customs (ADD)

G.S.R. 308(E).—Whereas, in the matter of "Vinyl Tiles, other than in roll or sheet form" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under heading 3918 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR, Taiwan and Vietnam and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification F. No. 06/17/2021-DGTR, dated the 23rd January, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd January, 2023, has come to the conclusion, *inter alia* that-

(i) the product under consideration has been exported to India at a price below normal value, thus resulting in dumping;

(ii) the dumping of the subject goods has materially retarded the establishment of domestic industry in India;

(iii) the volume of the subject imports has increased even after commencement of the commercial production in India,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the China PR and Taiwan and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the heading item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

TABLE

S.N.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1.	3918	Luxury Vinyl Tiles*	China PR	Any country, including China PR	Any	2.05	Square Meter	USD
2.	- do -	- do -	Any country other than China PR or Taiwan	China PR	Any	2.05	Square Meter	USD
3.	- do -	- do -	Taiwan	Any country, including China PR	Any	1.44	Square Meter	USD
4	- do -	- do -	Any country other than China PR or Taiwan	Taiwan	Any	1.44	Square Meter	USD

* “Vinyl Tiles other than in roll or sheet form” having minimum tile thickness of 2.5 mm and a maximum tile thickness of 8 mm (without considering the cushion), with protective layer having thickness in range of 0.15 mm to 0.7 mm; also known in market parlance as luxury vinyl tiles, luxury vinyl flooring, stone plastic composite, SPC, PVC flooring tiles, PVC tiles, rigid vinyl tiles or rigid vinyl flooring.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

***Explanation*.-** For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/48/2023-TRU Section-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.